राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक एवं राजकीय अधिवक्ता का नाम
1.	104/2016 सुहास दत्ता	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर। 3. श्रीमती संगीता सक्सेना, विभाग प्रमुख, टेक्सटाइल डिजाईन, तकनीकी शिक्षा निदेशक जरिये, राजस्थान, जोधपुर।	18.01.2016	श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक एवं श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
2.	138/2016 श्रीमती अनिता टांक	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा, विभाग, राजस्थान, सचिवलाय, जयपुर। 2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर। 3. श्रीमती संगीता सक्सेना, विभाग प्रमुख, टेक्सटाइल डिजाईन, तकनीकी शिक्षा निदेशक जरिये, राजस्थान, जोधपुर।	25.01.2016	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एंव श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

आदेश की दिनांक : 12.06.2024

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है।

अपील संख्या 104/2016 (सुहास दत्ता बनाम राजस्थान राज्य)

प्रस्तुत संशोधित अपील अनुसार अपीलार्थी को वर्ष 1986 में तदर्थ आधार पर व्याख्याता (वाणिज्य कला) के पद पर नियुक्त किया गया तथा उन्हें महिला पॉलोटेक्निक महाविद्यालय जयपुर में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी के पास वाणिज्य कला में डिप्लोमा तथा एम.ए. की डिग्री है। अपीलार्थी का वर्ष 1991 में नियमित रूप से आरपीएससी के माध्यम से व्याख्याता (वाणिज्य कला) के पद पर चयन हुआ तथा तदनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश दिनांक 18.04.1991 (अनुलग्नक–1) जारी किया गया। उक्त आदेश में अपीलार्थी के अलावा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 श्रीमती संगीता सक्सेना का भी नाम है, जिन्हे व्याख्याता (टेक्सटाइल डिजाइन) के पद पर नियुक्त किया गया था। आदेश दिनांक 18.04. 1991 (अनुलग्नक–1) से स्पष्ट कि अपीलार्थी की जन्म तिथी 17.01.1964 है, जबकि

प्रत्यर्थी संख्या 3 की जन्म तिथी 07.10.1964 है। इसके बाद प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 18.01.1996 (अनुलग्नक–2) जारी किया गया, जिसके तहत अपीलार्थी को दिनांक 18.04.1993 से स्थायी किया गया जबकि प्रत्यर्थी संख्या 3 को दिनांक 29.04.1993 से स्थायी किया गया। अपीलार्थी की आदेश दिनांक 19.05.2005 (अनुलग्नक–3) को वरिष्ठ व्याख्याता (वाणिज्यिक कला) के पद पर पदोन्नति की गई। अपीलार्थी की विभागाध्यक्ष (वाणिज्यिक कला) के पद पर वर्ष 2005–06 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति होनी थी, लेकिन उसे पदोन्नत नहीं किया गया। उसे 2006–07 की रिक्तियों के विरूद्ध आदेश दिनांक 03.10.2006 द्वारा पदोन्नति दी गयी (अनुलग्नक–4)। उक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 954/2006 दायर की गई। उक्त अपील के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी विभाग राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर पदोन्नत करने वाला था, इस पर अपीलार्थी ने उक्त अपील में द्वितीय स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया तथा आदेश दिनांक 15.01.2013 द्वारा अधिकरण ने प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी के लिए प्राचार्य का एक पद रिक्त रखने के निर्देश दिए। यद्यपि उस समय पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई डीपीसी आयोजित नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आदेश दिनांक 13.06.2014 (अनुलग्नक–5) द्वारा स्वीकार कर अपीलार्थी को वर्ष 2005–06 की रिक्तियों के विरूद्ध वाणिज्यिक कला विभागाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति करने के निर्देश प्रत्यर्थी विभाग को दिये गये। इसके बाद अधिकरण के आदेश दिनांक 13.06.2014 की पालना में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.06. 2015 (अनुलग्नक–6) द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2005–06 की रिक्तियों के विरूद्ध विभागाध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने विभागाध्यक्ष और अन्य पदों की एक अंतर–विभागीय सामान्य वरिष्ठता सूची जारी की। उक्त अंतर–विभागीय सामान्य वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता स्थिति प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए प्रासंगिक है, जबकि प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए किसी विशेष संकाय/विषय का होना जरूरी नहीं है और केवल सामान्य अंतर–विभागीय वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति की जाती है जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2012 की स्थिति दर्शाती है। उसके बाद विभाग द्वारा कोई प्रोविजनल या अंतिम अंतर–विभागीय वरिष्ठता सूची जारी/प्रसारित नहीं की गई। उपरोक्त सामान्य वरिष्ठता सूची के अनुसार अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 4 पर दर्शाया गया है, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 3 श्रीमती संगीता सक्सेना का नाम क्रम संख्या 5 पर दर्शाया गया है। दोनों की व्याख्याता के पद पर

नियुक्ति एक ही आदेश दिनांक 18.04.1991 से हुई परंतु अपीलार्थी उम्र में बड़ी होने एवं उसका स्थायीकरण पहले होने के आधार पर वह प्रत्यर्थी संख्या 3 से वरिष्ठ है। (अनुलग्नक–7) राज्य में राजकीय महिला पॉलोटेक्निक महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के 8 पद स्वीकृत है। जिन्हें राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर–अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010 के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है। उक्त 8 पदों में से 6 पद रिक्त है तथा दो पदों पर श्री बी.एल. धायल तथा श्रीमती अनिता टांक वैध कार्यरत है तथा दोनों ही प्रधानाचार्य के पद पर टेक्सटाइल डिजाईनिंग संकाय से है। प्रत्यर्थी विभाग ने जनवरी, 2016 (04/01/2016) के प्रथम सप्ताह में प्रधानाचार्य के 4 रिक्त पदों के लिए डीपीसी आयोजित की है। अपीलार्थी का वरिष्ठता सूची में क्रमांक 4 पर नाम होने से वह आशान्वित थी कि डीपीसी द्वारा प्राचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु उसके नाम की अभिशंषा की जायेगी जबकि उसे ज्ञात हुआ है कि डीपीसी ने बिना किसी वैध कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी से वरिष्ठ मानते हुए पदोन्नति की अभिशंषा की गई। डीपीसी कार्यवाही विवरण उसे उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः उसे प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है। आज दिनांक तक डीपीसी की सिफारिशों के आधार पर कोई पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया गया है और ऐसी डीपीसी कार्यवाही के अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्राचार्य के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 13.01.2016 (अनुलग्नक–8) को एक कानूनी नोटिस भी दिया जिसमें उसके मामले की समीक्षा तथा पुनर्विचार करने तथा तय वरिष्ठता स्थिति की अनदेखी करके अपीलार्थी को वंचित नहीं रखने का अनुरोध किया गया, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने इसका कोई निस्तारण नहीं किया। अपीलार्थी द्वारा दायर अपील के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी विभाग ने जनवरी 2016 में आयोजित डीपीसी की अनुपालना में आदेश दिनांक 18.03.2016 को पदोन्नति आदेश जारी किया जिसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 संगीता सक्सेना को वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध प्राचार्य के पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गयी। इस पदोन्नति आदेश में पदोन्नत प्रथम तीन कार्मिकों मधु गोयल, दुर्गेश नन्दिनी एवं नीता स्परूप अपीलार्थी से वरिष्ठ होने से अपीलार्थी को कोई आपत्ति नहीं है परंतु निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 संगीता सक्सेना अपीलार्थी से कनिष्ठ है एवं अतंर विभागीय सामान्य वरिष्ठता सूची में उसका नाम अपीलार्थी से नीचे है। यह वरिष्ठता सूची किसी न्यायालय/अधिकरण में चुनौती नहीं दी गई है एवं विभाग द्वारा भी इसे संशोधित/परिवर्तित नहीं किया है। अतः निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को

अपीलार्थी से पहले प्राचार्य के पद पर पदोन्नति देने से आदेश दिनांक 18.03.2016 (अनुलग्नक–9) मनमाना, भेदभावपूर्ण एवं अवैध है।

अतः प्रस्तुत अपील में पदोन्नति आदेश दिनांक 18.03.2016 को निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की सीमा तक मनमाना एवं अवैध घोषित करने एवं अपास्त करने तथा अपीलार्थी के प्रकरण में पुर्नविचार करके उसे वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरूद्ध प्राचार्य राजकीय महिला पॉलोटेक्निक महाविद्यालय के पद पर पदोन्नति प्रदान करने एवं समस्त पारिणामिक परिलाभ देने हेतु प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करने का अनुतोष चाहा है। साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 को डीपीसी की अभिशंषा की पालना करने से रोकने एवं अपीलार्थी के प्रकरण पर पुर्नविचार कर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के उपर पदोन्नति देने का निवेदन किया है।

प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता द्वारा संशोधित अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विभागीय पदोन्नति आदेश दिनांक 18.03.2016 पूर्णतः नियमानुसार जारी की गई है। जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक निविश्चयों में यह मत प्रतिपादित किया है कि आदेशों के नियमों के उल्लघंन अथवा दुर्भावना के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है। अपीलार्थी उक्त तथ्यों को वर्तमान अपील में स्थापित करने में असमर्थ रहा है। राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर अभियांत्रिकी) सेवा नियम 2010 के नियम 32 (i) में यह प्रावधान किया गया है किः–

32 (i):– "The inter seniority of persons appointed to a post in a particular category by direct recruitment on the basis of one and same selection, except those who do not join service when a post is offered to them within a period of six weeks from the date of issue of order or longer, if extended by the Appointing Authority, shall follow the order in which their name have been placed in the list prepared rule 24."

तत्समय प्रचलित राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 1973 के नियम 16 के प्रावधानानुसार लोक सेवा आयोग चयनोपरांत राज्यादेश संख्या प.स. 8 (5) त.शि. 89 दिनांक 18.04.1991 द्वारा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 (संगीता सक्सेना) की क्रमशः प्रवक्ता कॉमर्शियल आर्ट एवं प्रवक्ता टेक्सटाईल डिजाईन के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए अपीलार्थी, प्रवक्ता कॉमर्शियल आर्ट को मेरिट क्रमांक 02 एवं श्रीमती संगीता सक्सेना, प्रवक्ता टेक्सटाईल डिजाईन को मेरिट क्रमांक 02 घोषित

किया गया। उक्त दोनों शाखाओं के नियुक्ति आदेश एक ही दिन जारी किये गये। एक अन्य राज्यादेश संख्या प.स. 8 (5) त.शि. 89 दिनांक 13.05.1994 द्वारा श्रीमती नीना स्वरूप को प्रवक्ता कॉमर्शियल आर्ट के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए यह प्रावधान किया गया कि '' श्रीमती नीना स्वरूप की वरिष्ठता मुख्य चयन सूची में मेरिट क्रमांक 1–ए पर रेट संख्या 1 व 2 के मध्य मेरिट क्रम में रखी जायेगी अर्थात इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.04.1991 के द्वारा नियुक्त प्रवक्ता श्रीमती दुर्गेश नन्दनी के पश्चात् एवं श्रीमती सुहास दत्ता से पहिले रहेगी।'' उक्त स्थिति अनुसार श्रीमती नीना स्वरूप के वरियता क्रमांक 1–ए एवं अपीलार्थी श्रीमती सुहास दत्ता के वरियता क्रमांक 02 का अंतिम निर्धारण प्रशासनिक विभाग के आदेशांक प.स. 8 (7) त.शि./2006 दिनांक 02.06.2015 द्वारा रिक्ति वर्ष 2005–2006 के विरूद्ध अपीलार्थी की विभागाध्यक्ष कॉमर्शियल आर्ट के पद पर पदोन्नति करते हुए अपीलार्थी का वरिष्ठता क्रमांक–02 के स्थान पर श्रीमती नीना स्वरूप के पश्चात् क्रम संख्या–03 पर निर्धारण किया गया। (अनुलग्नक–आर/1) राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर अभियांत्रिकी) सेवा नियम–2010 के शिड्यूल के क्रम संख्या–1 पर प्रधानाचार्य महिला पोलोटेक्निक के पद पर पदोन्नति हेतु किसी भी शाखा के विभागाध्यक्ष पद का 5 वर्ष का अनुभव प्रावधित किया गया है जिसका उदृण निम्न हैः–

"Head of department in any branch under women polytechnic" उक्त प्रावधानानुसार अलग–अलग ब्रांचों के विभागाध्यक्षों की प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु अतंर–विभागीय विभागाध्यक्ष की वरिष्ठता सूची का निर्धारण किया जाता है। निम्न तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट होता है कि श्रीमती संगीता सक्सेना, श्रीमती सुहास दत्ता (अपीलार्थी) एवं श्रीमती अनिता टांक से विभागाध्यक्ष की अतंर–विभागीय वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ है।

प्रवक्ता की अर्न्तविभागीय वरिष्ठता सूची जारी दिनांक 08.01.2013 के अनुसार	प्रवक्ता की अर्न्तविभागीय वरिष्ठता सूची प्रशासनिक विभाग के आदेश दिनांक 02.06.2015 के अनुसार	विभागाध्यक्ष की अर्न्तविभागीय वरिष्ठता सूची जारी दिनांक 08.01.2013 के अनुसार	विभागाध्यक्ष की अन्तर विभागीय वरिष्ठता सूची प्रशासनिक विभाग के आदेश दिनांक 02.06.2015 के अनुसार
क्र.स./नाम	क.स./नाम	क.स./नाम	क.स./नाम
1. श्रीमती मधु गोयल(मेरिट एम–2)	1.श्रीमती मधु गोयल(मेरिट एम–2)	1.श्रीमती मधु गोयल(2005–06)	1.श्रीमती मधु गोयल(2005–06)

2. श्रीमती दुर्गेश नन्दिनी (मेरिट एम–1)	2.श्रीमती दुर्गेश नन्दिनी (मेरिट एम–1)	2.श्रीमती दुर्गेश नन्दिनी (2005–06)	2.श्रीमती दुर्गेश नन्दिनी (2005–06)
3. श्रीमती नीना स्वरूप (मेरिट एम–1ए)	3.श्रीमती नीना स्वरूप (मेरिट एम–1ए)	3.श्रीमती नीना स्वरूप (2005–06)	3.श्रीमती नीना स्वरूप (2005–06)
4. श्रीमती सुहास दत्ता (मेरिट एम–2)	4.श्रीमती सुहास दत्ता (मेरिट एम–2)	4.श्रीमती सुहास दत्ता (2005–06)	4.श्रीमती संगीता सक्सेना (2005–06)
5. श्रीमती संगीता सक्सेना (मेरिट एम–2)	5.श्रीमती संगीता सक्सेना (मेरिट एम–2)	5.श्रीमती संगीता सक्सेना (2005–06)	5.श्रीमती अनिता टांक (2005–06)
6. श्रीमती अनीता टांक (मेरिट एम–3)	6.श्रीमती अनीता टांक (मेरिट एम–3)	6.श्रीमती अनीता टांक (2005–06)	6.श्रीमती सुहास दत्ता (2005–06)

उपरोक्तानुसार प्रशासनिक विभाग के आदेश दिनांक 02.06.2015 अपीलार्थी का वरिष्ठता क्रमांक श्रीमती नीना स्वरूप के बाद क्रम संख्या 3 पर रखे जाने के क्रम में विभागाध्यक्ष की अन्तर–विभागीय वरिष्ठता सूची में संगीता सक्सेना के वरिष्ठ हो जाने के आधार पर ही श्रीमती संगीता सक्सेना की प्राचार्य महिला पालोटेक्निक के पद पर पदोन्नति श्रीमती अनिता टांक एंव अपीलार्थी से पूर्व की गई। उक्तानुसार स्पष्ट है कि नियमानुसार श्रीमती संगीता सक्सेना विभागाध्यक्ष की अतंर–विभागीय वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ होने के परिणामस्वरूप राज्यादेश दिनांक 18.03.2016 द्वारा प्रधानाचार्य महिला पालोटेक्निक के पद पर पदोन्नत किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लघंन नहीं है। यह कि अपीलार्थी की अपील समय बाधित है क्योंकि अपीलार्थी व श्रीमती नीना स्वरूप, दुर्गेश नन्दिनी इत्यादि की वरिष्ठता का निर्धारण दिनांक 13.04.1994 को ही किया जा चुका है। अपील प्रस्तुत कर उक्त आदेश को निरस्त करवाना चाहती है जो कि करीब 23 वर्ष के बाद उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त विलंब को माफ किये जाने बाबत उचित कारणों का कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा मुख्य रूप से संशोधित अपील दिनांक 01.04.2011 की स्थिति अनुसार राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर अभियांत्रिकी) सेवा नियम 2010 से शासित होने वाले विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ प्रवक्ता एवं प्रवक्ता पद की प्राशसनिक विभाग के आदेशांक एफ. 8 (2) त.शि./98 दिनांक 08.01.2013 को जारी अंतिम अतंर–विभागीय वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 04 पर तथा श्रीमती संगीता सक्सेना का नाम क्रम संख्या 05 पर होने की स्थिति में अपीलार्थी से पहले श्रीमती सक्सेना का प्रधानाचार्य महिला पोलोटेक्निक के पद पर पदोन्नति दिये जाने के परिणामस्वरूप दायर की गयी। अपीलार्थी द्वारा विभागाध्यक्ष कॉमर्शियल आर्ट के

पद पर रिक्ति वर्ष 2005–2006 के विरूद्ध पदोन्नत किये जाने हेतु अपील संख्या 954/2006 श्रीमती सुहास दत्ता बनाम राज्य दायर की गयी। अधिकरण के आदेश दिनांक 13.06.2014 की पालना में अपीलार्थी को रिक्ती वर्ष 2005–06 के विरूद्ध विभागाध्यक्ष कॉमर्शियल आर्ट के पद पर पदोन्नति देकर उसका वरिष्ठता क्रमांक 2 के स्थान पर श्रीमती नीना स्वरूप के पश्चात क्रम संख्या 3 पर निर्धारित किया। उक्त के अतिरिक्त यहां स्पष्ट करना उचित होगा कि दिनांक 01.04.2010, 01.04. 2011 एवं 01.04.2012 की यथास्थिति दर्शाते हुए विभागाध्यक्षों की एवं प्रवक्ताओं की अतंर विभागीय अंतिम वरिष्ठता सूची की क्रम संख्या 04 पर श्रीमती सुहास दत्ता एवं क्रम संख्या 05 पर श्रीमती संगीता सक्सेना का नाम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता पद पर चयनोपरांत आयोग द्वारा जारी वरियता क्रमांक के आधार पर निर्धारित किया गया। राज्यादेश संख्या 8 (7) त.शि./2006 दिनांक 02.06.2015 की प्रति एवं अधिकरण का आदेश अनुलग्नक–आर/1 पर है। श्रीमती संगीता सक्सेना का वरिष्ठता क्रमांक 02 एवं अंतिम वरिष्ठता सूची जारी किये जाने की तिथि दिनांक 08.01.2013 के पश्चात् राज्यादेश संख्या सं. 8 (7) त.शि. 2006 दिनांक 02.06.2015 द्वारा श्रीमती सुहास दत्ता का वरिष्ठता क्रमांक 03 होने के कारण प्रधानाचार्य महिला पोलोटेक्निक के पद हेतु दिनांक 28.12.2015 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर श्रीमती संगीता सक्सेना की पदोन्नति प्रधानाचार्य के पद पर अपीलार्थी से पूर्व की गयी। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किए जाने योग्य है।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी की आरपीएससी के माध्यम से 1991 में नियमित रूप से चयन के पश्चात व्याख्याता वाणिज्यक कला के पद पर हुई एवं नीना स्वरूप की मेरिट 2 होने से अपीलार्थी की मेरिट संख्या 3 हो गई। निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की नियमित नियुक्ति व्याख्याता (टेक्सटाईल डिजाइन) के पद पर हुई एवं मेरिट क्रमांक 2 है। दोनों अलग–अलग संकाय से संबंधित है परंतु नियुक्ति आदेश दिनांक 18.04.1991 द्वारा की गई (अनुलग्नक–1) अधिकरण के आदेश दिनांक 13.06.2014 की पालना में अपीलार्थी को विभागाध्यक्ष के पद पर आदेश दिनांक 02.06.2015 द्वारा वर्ष 2005–06 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति दी गई। निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की विभागाध्यक्ष टेक्सटाईल डिजाईन के पद पर पदोन्नति होने पर 05.07.2006 को कार्यग्रहण किया (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी को आदेश दिनांक 02.06.2015 के द्वारा वरिष्ठता क्रमांक 3 आवंटित किया जिसे चुनौती नहीं दी गई है। प्रत्यर्थी विभाग ने विभागाध्यक्ष एवं अन्य

पदों की अन्तर विभागीय सामान्य वरिष्ठता सूची जारी की जो वर्ष 2011–12 की प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति हेतु सम्यक है, यह वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2012 की स्थिति में जारी है। आदेश दिनांक 02.06.2015 द्वारा सुहास दत्ता की वरिष्ठता क्रमांक 3 निर्धारित की है एवं नीना स्वरूप को वरिष्ठता क्रमांक 2 आवंटित किया गया है। नीना स्वरूप (मेरिट संख्या–2) एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की अलग–अलग शाखाओं में भिन्न–भिन्न तिथी को नियुक्ति होने से संगीता सक्सेना की नियुक्ति पहले होने से वह वरिष्ठता में क्रम संख्या 3 पर एवं नीना स्वरूप क्रम संख्या 4 पर आयेगी। Rajasthan Technical Education (Non-Enginering) service Rules 32 के अनुसार सुहासा दत्ता (मेरिट सं. 3) एवं अनिता टांक (मेरिट सं. 3) अलग–अलग शाखाओं में एक ही तिथी को नियुक्त होने से अनिता टांक की आयु ज्यादा होने से अनिता टांक की वरिष्ठता क्रम सं. 5 एवं सुहासा दत्ता की वरिष्ठता क्रमांक 6 आवंटित किया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 ने उसकी नियुक्ति तिथी 18.04. 1991 होने एवं नीना स्वरूप की नियुक्ति तिथी 23.05.1994 होने के आधार पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की वरिष्ठता नीना स्वरूप से उपर निर्धारित करने का अभ्यावेदन दिया जो अभी तक अनिर्णित है। अभ्यावेदन एवं वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2012 (अनुलग्नक–3 व 4) पर उपलब्ध हैं। रिक्ती वर्ष 2011–12 के विरूद्ध प्राचार्य के पद पर जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 18.03.2016 की पालना में निजी प्रत्यर्थी आदेश दिनांक 12.05.2016 की पालना में राजकीय महिला पोलोटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर में प्राचार्य के पद पर कार्यग्रहण कर कार्यरत है। आदेश दिनांक 02.06.2015 द्वारा अपीलार्थी की वरिष्ठता क्रमांक 3 निर्धारित किया है। इसे कहीं चुनौती नहीं दी गई है। आदेश दिनांक 18.03.2016 एवं दिनांक 12.05.2016 अनुलग्नक–आर/5 व आर/6 पर है। पदोन्नति आदेश नियमानुसार जारी होने से अपील खारिज करने का निवेदन किया।

<u>अपील संख्या 138/2016 (अनिता टांक बनाम राजस्थान राज्य):–</u>

प्रस्तुत अपील (138/2016) में अपीलार्थी ने प्राचार्य के पद पर रिक्ती वर्ष 2011–12 के विरूद्ध जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 18.03.2016 को चुनौती इस आधार पर दी है कि अपीलार्थी के अधिकार को को दरकिनार कर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 (सुहास दत्ता) एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 (संगीता सक्सेना) को पदोन्नति प्रदान कर दी गई। अपीलार्थी की आरपीएससी के माध्यम से चयन के उपरान्त आदेश दिनांक 18.04.1991 द्वारा व्याख्याता (टेक्सटाईल डिजाईन) के पद पर

नियुक्ति हुई। (अनुलग्नक–1) इस आदेश में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 संगीता सक्सेना क्रमांक 2 पर एवं अपीलार्थी क्रमांक 3 उपर थी। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 सुहास दत्ता की नियुक्ति भी इसी आदेश द्वारा व्याख्याता (कॉमर्शिलय आर्ट) के पद पर हुई। तत्समय प्रभावी नियम 1973 के अनुसार अगली पदोन्नति वरिष्ठ व्याख्याता के पद पर होती है। अपीलार्थी को वरिष्ठ व्याख्याता के पद पर आदेश दिनांक 16.03.1999 (अनुलग्नक–2) द्वारा रिक्ती वर्ष 1998–99 के विरूद्ध पदोन्नति की गई। निजी प्रत्यर्थी 5 संगीता सक्सेना को भी वर्ष 1998–99 की रिक्ती के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार किया परंतु उसने वरिष्ठ व्याख्याता के पद पर कार्यग्रहण नहीं कर पदोन्नति का परित्याग कर दिया। अपीलार्थी की अगली पदोन्नति विभागाध्यक्ष (टेक्सटाईल डिजाईन) के पद पर वर्ष 2005–06 की रिक्तियों के विरूद्ध आदेश दिनांक 21.06.2006 द्वारा हुई (अनुलग्नक–3) एवं निजी प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी संख्या 5 संगीता सक्सेना द्वारा वर्ष 1998–99 के वरिष्ठ व्याख्याता की पदोन्नति परित्याग करने से उसे वर्ष 2004–05 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ व्याख्याता की पदोन्नति दी गई। इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 वरिष्ठ व्याख्याता के सवंर्ग में अपीलार्थी से कनिष्ठ हो गई एवं वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी को क्रमांक 1 एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को क्रमांक 2 पर रखा गया। प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची विभिन्न विषयों के विभागाध्यक्षों की वरिष्ठ व्याख्याता एवं विभागाध्यक्ष के सवंर्ग में पदोन्नति के आधार पर तैयार करनी चाहिए लेकिन दिनांक 17.10.2012 द्वारा दिनांक 01.04.2012 के संबंध में जारी तदर्थ सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 6 पर दर्शाया गया। (अनुलग्नक–ए) अपीलार्थी ने दिनांक 23.10.2012 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निजी प्रत्यर्थी सुहास दत्ता की नियुक्ति अपीलार्थी के नियुक्ति आदेश से ही हुई है एवं आरपीएससी सूची के अनुसार उसका नाम अपीलार्थी के नीचे रखा जावे। साथ ही सुहास दत्ता की वरिष्ठ व्याख्याता के पद पर पदोन्नति 2004–05 की रिक्तियों के विरूद्ध हुई एवं अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 1998–99 की रिक्ती के विरूद्ध हुई। विभागाध्यक्ष के पद पर अपीलार्थी वर्ष 2005–06 एवं निजी प्रत्यर्थी सुहास दत्ता 2006–07 में पदोन्नत हुई है। अतः उसका नाम वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी से नीचे रखा जावे। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 संगीता सक्सेना की नियुक्ति भी अपीलार्थी के नियुक्ति आदेश से ही हुई है। परंतु उसने वरिष्ठ व्याख्याता के पद पर पदोन्नति का परित्याग करने से उसे इस पद पर वर्ष 2004–05 में पदोन्नति दी गई एवं विभागाध्यक्ष के पद पर उसकी पदोन्नति अपीलार्थी के साथ आदेश दिनांक 21.06.2006 द्वारा हुई है परंतु उसका नाम

अपीलार्थी से नीचे रखा गया। अतः विभागाध्यक्ष से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची में दोनों का नाम अपीलार्थी से नीचे रखा जाना चाहिए परंतु वरिष्ठता सूची दिनांक 23.10.2012 में इन दोनों को वरिष्ठता में अपीलार्थी से उपर रखा गया।(अनुलग्नक–4) दिनांक 08.01.2013 को जारी अंतिम वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी को क्रम संख्या 6 पर रखा गया एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 एवं 5 का नाम क्रमशः 4 व 5 पर रखा गया (अनुलग्नक–5) एवं अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया। विषयवार वरिष्ठता सूची में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को अपीलार्थी के नीचे रखा जाना चाहिए परंतु 08.01.2013 को प्रकाशित वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 6 पर रखा गया जबकि निजी प्रत्यर्थी 5 संगीता सक्सेना का नाम क्रम संख्या 4 पर रखा गया जबकि वह अपीलार्थी से वरिष्ठ व्याख्याता एवं विभागाध्यक्ष संवर्ग में कनिष्ठ है। सुहास दत्ता अपीलार्थी के साथ अन्य विषय वाणिज्यक कला में व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुई। उसने बाद में कार्यग्रहण किया। उसकी जन्म तिथी वर्ष 1964 एवं अपीलार्थी की वर्ष 1960 (05.05. 1960) होने से यदि वरिष्ठता सूची व्याख्याता के सेवाकाल के आधार पर बनाई जावे तो सुहास दत्ता का नाम अपीलार्थी से नीचे होना चाहिए। प्राचार्य सवंर्ग के महिला पोलोटेक्निक महाविद्यालय में 8 पद स्वीकृत है। 2 पदों पर अधिकारी कार्यरत है। राज्य सरकार के वर्ष 2011–12 की रिक्तियों का निर्धारण किया गया। अपीलार्थी को यह आश्वस्त किया कि वरिष्ठता सूची को सही किया जायेगा इस कारण अपीलार्थी ने 2013 में इसे चुनौती नहीं दी। अपीलार्थी की जानकारी के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग ने प्राचार्य के पद की डीपीसी दिनांक 28.12.2015 को आयोजित कर ली जिसमें अपीलार्थी के नाम पर इस आधार पर विचार नहीं किया कि 6 रिक्त पदों के विरूद्ध अपीलार्थी का नाम वरीयता के क्रम संख्या 8 पर है। पदोन्नति आदेश में क्रम संख्या 1 से 3 पर पदोन्नत किए गये कार्मिक अपीलार्थी से वरिष्ठ है। इस कारण उनके संबंध में अपीलार्थी को कोई विवाद नहीं है परंतु यदि वरिष्ठता सूची सही की जाती तो अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 6 पर आता एवं वह वर्ष 2011–12 के प्राचार्य के पद पर पदोन्नति की पात्र होती। डीपीसी 6 पदों के लिए आयोजित हुई परंतु एक अन्य विभागाध्यक्ष शालिनी गुप्ता, जिसकी व्याख्याता के पद पर नियुक्ति एवं विभागाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति अपीलार्थी के बाद हुई उसने 08.01.2013 की वरिष्ठता सूची के संबंध में अधिकरण में अपील (अपील संख्या 100/2013) दायर करने पर अधिकरण के प्राचार्य का एक पद रिक्त रखने हेतु निर्देशित किया। शेष 5 पदों में से एक पद अनुसूचित जाति हेतु निर्धारित होने से 4 पदों पर पदोन्नति हेतु

विचार किया जावे इस कारण अपीलार्थी के मामले पर विचार नहीं किया। अपीलार्थी ने इन बिंदूओं पर एतराज कर अपने अधिवक्ता के मार्फत एक नोटिस 05.01.2016 को दिया परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने इस पर कोई विचार नहीं किया। (अनुलग्नक–6) प्रत्यर्थी विभाग ने वरिष्ठता सूची को सही किए बिना डीपीसी कर दी जिससे प्रत्यर्थी संख्या 4 एवं 5 की 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध प्राचार्य के पद पर आदेश दिनांक 18.03.2016 पदोन्नति हो गई। (अनुलग्नक–8) प्रत्यर्थी सुहास दत्ता की वरिष्ठता कॉमर्शियल आर्ट विषय में नीना स्वरूप से नीचे क्रम संख्या 3 पर निर्धारित की गई है। अपीलार्थी एवं सुहास दत्ता की नियुक्ति आदेश एवं कार्यग्रहण तिथी एक समान होने से जिसकी उम्र ज्यादा है वह विभागाध्यक्ष संवर्ग में वरिष्ठ होगा। इस आधार पर ही अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 5 पर होना चाहिए परंतु अपीलार्थी के पक्ष में कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया।

अतः अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी विभाग को विभागाध्यक्ष सवंर्ग की वरिष्ठता सूची को सही करने एवं अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 एवं 5 से उपर रखे जाने हेतु निर्देशित करने एवं वरिष्ठता सही करने के पश्चात पदोन्नति आदेश दिनांक 18.03.2016 को अपास्त करने एवं अपीलार्थी को प्राचार्य पद की वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत हेतु विचार करने एवं अपीलार्थी के पदोन्नति आदेश जारी कराने का अनुतोष चाहा है।

प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तत्समय प्रचलित सेवानियम 1973 के तहत अपीलार्थी को आरपीएससी के चयन उपरान्त आदेश दिनांक 18.04.1991 द्वारा प्रवक्ता टेक्सटाईल डिजाईन के पद पर नियुक्ति दी जाकर मेरिट क्रमांक 3 पर चयन किया एवं वर्ष 1998–99 की रिक्ती वर्ष के विरूद्ध डीपीसी की अभिशंषा पर आदेश दिनांक 16.02.1999 द्वारा वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति दी गई एवं रिक्ती वर्ष 2005–06 के विरूद्ध अपीलार्थी को विभागाध्यक्ष टेक्सटाईल डिलाईन के पद पर पदोन्नति दी गई। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को वरिष्ठ प्रवक्ता टेक्सटाईल डिजाईन के पद पर रिक्ती वर्ष 2004–05 के विरूद्ध पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 संगीता सक्सेना को रिक्ती वर्ष 2005–06 के विरूद्ध पदोन्नति आदेश दिनांक 21.06.2016 द्वारा वरिष्ठ प्रवक्ता टेक्सटाईल डिजाईन से विभागाध्यक्ष टेक्सटाईल डिजाईन के पद पर पदोन्नति दी गई (अनुलग्नक–3) राज्यादेश 17.10.2012 द्वारा सेवानियम 2010 के तहत दिनांक 01.04.2010, 01.04.2011 एवं 01.04.2012 की यथा स्थिति दर्शाते हुए विभागाध्यक्ष एवं अन्य प्रवक्ताओं की अन्तर विभागीय अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी की गई एवं

आदेश दिनांक 08.01.2013 द्वारा अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई। इस अतंरविभागीय वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 4 पर सुहास दत्ता क्रम संख्या 5 पर संगीता सक्सेना का नाम आरपीएससी द्वारा प्रवक्ता पद पर चयन उपरांत आयोग द्वारा जारी वरिष्ठता क्रमांक के आधार पर निर्धारण किया। अधिकरण में सुहास दत्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में पारित आदेश दिनांक 13.06.2014 की पालना में राज्यादेश दिनांक 02.06.2015 द्वारा सुहास दत्ता को विभागाध्यक्ष कॉमर्शियल आर्ट के पद पर रिक्ती वर्ष 2005–06 के विरूद्ध पदोन्नति करते हुए सुहास दत्ता की वरिष्ठता क्रमांम नीना स्वरूप के बाद क्रम संख्या 3 पर निर्धारित किया गया (अनुलग्नक–आर/1) आदेश दिनांक 18.04.1991 द्वारा सुहास दत्ता की नियुक्ति प्रवक्ता कॉमर्शियल आर्ट के पद पर हुई जिसमें आरपीएससी द्वारा जारी मेरिट क्रमांक क्रम संख्या 2 पर रखा गया। इसी आदेश दिनांक 18.04.1991 द्वारा संगीता सक्सेना की नियुक्ति प्रवक्ता टेक्सटाईल डिजाईन के पद पर हुई एवं आरपीएससी द्वारा जारी मेरिट क्रमांक 2 पर रखा गया एवं जन्म तिथी 07.10.1964 है। अपीलार्थी की नियुक्ति भी आदेश दिनांक 18.04.1991 द्वारा प्रवक्ता टेक्सटाईल डिजाईन के पद पर हुई एवं आरपीएससी की मेरिट क्रमांक 3 एवं जन्म तिथी 05.05.1960 है। अतंरविभागीय वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 6 पर अपीलार्थी अनिता टांक का नाम, वरिष्ठता क्रमांक 4 पर प्रत्यर्थी संख्या 4 सुहास दत्ता एवं वरिष्ठता क्रमांक 5 पर प्रत्यर्थी संख्या 5 संगीता सक्सेना को रखा गया। क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 4 सुहास दत्ता प्रत्यर्थी संख्या 5 से आयु में अधिक होने के कारण वरिष्ठता का निर्धारण किया गया। आदेश दिनांक 13.05.1994 द्वारा नीना स्वरूप (जन्म तिथी 30.04.1959) को राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 5230/1989 में अंतिम निर्णय के अध्यधीन प्रवक्ता कॉमर्शियल आर्ट के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई एवं नीना स्वरूप की वरिष्ठता मेरिट क्रमांक 1ए पर (मेरिट संख्या 1 एवं 2 के मध्य) रखी गयी अर्थात आदेश दिनांक 18.04.1991 द्वारा नियुक्त दुर्गेश नन्दिनी के बाद एवं सुहासा दत्ता से पहले रहेगी। आदेश दिनांक 13.04.1994 अनुलग्नक–आर/3 पर है। इस प्रकार सुहासा दत्ता की वरिष्ठता का निर्धारण मेरिट क्रमांक 3 पर किया गया जो सुहासा दत्ता के विभागाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 02.06.2015 (अनुलग्नक–आर/1) से स्पष्ट है। इस प्रकार संगीता सक्सेना की टेक्सटाईल डिजाईन में आरपीएससी द्वारा जारी मेरिट 2 होने से वह सुहास दत्ता से वरिष्ठ हो गई एवं अपीलार्थी अनिता टांक की आरपीएससी की मेरिट क्रमांक 3 होने से अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 संगीता सक्सेना से कनिष्ठ रही। इस प्रकार अपीलार्थी का टेक्सटाईल डिजाईन का

आरपीएससी द्वारा जारी मेरिट क्रमांक 3 होने एवं निजी प्रत्यर्थी सुहास दत्ता का मेरिट क्रमांक 2 के स्थान पर 3 निर्धारित होने एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 संगीता सक्सेना की आरपीएससी की मेरिट क्रमांक 2 होने से प्रधानाचार्य महिला पोलोटेक्निक की वर्ष 20112 की रिक्तियों हेतु दिनांक 28.12.2015 को आयोजित डीपीसी में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 संगीता सक्सेना को अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से वरिष्ठ रखा गया। डीपीसी में एक पद शालिनी गुप्ता द्वारा अधिकरण में दायर अपील 100/2013 में पारित अतंरिम स्थगन की पालना में रिक्त रखा गया। प्राचार्य महिला पोलोटेक्निक के 8 स्वीकृत पदों में 3 प्रधानाचार्य 01.04.2011 को कार्यरत होने से 5 रिक्त पदों हेतु 28.12.2015 को डीपीसी की गई जिसमें से एक पद अधिकरण के अतंरिम स्थगन आदेश की अनुपालना में रिक्त रखा गया। सुहास दत्ता ने विभागाध्यक्ष कॉमर्शियल आर्ट के पद पर रिक्ती वर्ष 2005–06 के विरूद्ध पदोन्नत करने हेतु अधिकरण में अपील (अपील संख्या 954/2006) दायर की एवं अधिकरण के निर्णय दिनांक 13.06.2014 की पालना में आदेश दिनांक 02.06.2015 द्वारा रिक्ती वर्ष 2005–06 के विरूद्ध सुहास दत्ता को विभागाध्यक्ष कॉमर्शियल आर्टस के पद पर पदोन्नति प्रदान कर उसका वरिष्ठता क्रमांक 2 के स्थान पर नीना स्वरूप के पश्चात क्रम संख्या 3 पर निर्धारण किया गया। अतंर विभागीय वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 4 पर सुहास दत्ता एवं क्रम संख्या 5 पर संगीता सक्सेना का नाम आरपीएससी द्वारा जारी मेरिट क्रमांक के आधार पर रखा गया था परंतु अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने की तिथी 08.01.2013 के बाद राज्यादेश 02.06.2015 द्वारा सुहास दत्ता की वरिष्ठता क्रमांक 2 के बजाय 3 होने के कारण प्रधानाचार्य के पद हेतु 28.12.2015 को आयोजित डीपीसी में संगीता सक्सेना की वरिष्ठता क्रमांक 2 होने से डीपीसी की अभिशंषा पर संगीता सक्सेना को प्रधानाचार्य की पदोन्नति दी गई। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 संगीता सक्सेना की तरफ से जवाब पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 की नियुक्ति व्याख्याता टेक्सटाईल डिजाईनिंग के पद पर एक ही आदेश दिनांक 18.04.1991 (अनुलग्नक–1) से हुई जिसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 की मेरिट 2 एवं अपीलार्थी की मेरिट 3 थी। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 सुहासा दत्ता की नियुक्ति भी इसी आदेश द्वारा कॉमर्शियल आर्ट विषय में व्याख्याता के पद पर हुई जिसमें उसकी मेरिट–2 थी परंतु बाद में नीना स्वरूप को मेरिट–2 दिए जाने से सुहासा दत्ता की मेरिट–3 निर्धारित की गई। अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 आगे के पद वरिष्ठ

व्याख्याता एवं विभागाध्यक्ष के पद पर पदोन्नत हुए। अपीलार्थी ने दिनांक 23.10.2012 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। (अनुलग्नक–2) जिसमें वरिष्ठता सूची को चुनौती नहीं दी गई। वरिष्ठता सूची राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर–अभियांत्रिकी) सेवा नियम 2010 के नियम 32 के अनुरूप तैयार की जायेगी। अपीलार्थी की नियुक्ति की मेरिट संख्या 3 एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 की मेरिट संख्या 2 होने एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की संशोधित मेरिट संख्या 3 होने से निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 इन दोनों से वरिष्ठ है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्राचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु 01.04.2012 की स्थिति में अंतर विभागीय समान वरिष्ठता सूची जारी की आदेश दिनांक 02.06.2015 द्वारा सुहास दत्ता की वरिष्ठता क्रमांक 3 निर्धारित की है एवं नीना स्वरूप को वरिष्ठता क्रमांक 2 आवंटित किया गया है। नीना स्वरूप (मेरिट संख्या–2) एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की अलग–अलग शाखाओं में भिन्न–भिन्न तिथी को नियुक्ति होने से संगीता सक्सेना की नियुक्ति पहले होने से वह वरिष्ठता में क्रम संख्या 3 पर एवं नीना स्वरूप क्रम संख्या 4 पर आयेगी। Rajasthan Technical Education (Non-Enginering) service Rules 32 के अनुसार सुहासा दत्ता (मेरिट सं. 3) एवं अनिता टांक (मेरिट सं. 3) अलग–अलग शाखाओं में एक ही तिथी को नियुक्त होने से अनिता टांक की आयु ज्यादा होने से अनिता टांक की वरिष्ठता क्रम सं. 5 एवं सुहासा दत्ता की वरिष्ठता क्रमांक 6 आवंटित किया। शेष जवाब भी अपील संख्या 104/2016 में प्रस्तुत जवाब के अनुरूप ही है। एवं अपील खारिज करने का निवेदन किया।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 सुहास दत्ता की तरफ से इस अपील में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.04.1991 द्वारा अनिता टांक, सुहासा दत्ता एवं संगीता सक्सेना की प्रत्यर्थी विभाग में प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति हुई। अनिता टांक की नियुक्ति प्रवक्ता टेक्सटाईल डिजाईन के पद पर आरपीएससी की मेरिट क्रमांक 3 (जन्म तिथी 05.05.1960) संगीता सक्सेना की नियुक्ति प्रवक्ता टेक्सटाईल डिजाईन के पद पर आरपीएससी की मेरिट क्रमांक 02 (जन्म तिथी 07.10.1964) एवं सुहास दत्ता की नियुक्ति प्रवक्ता कॉमर्शियल आर्ट के पद पर आरपीएससी की मेरिट क्रमांक 2 (जन्म तिथी 17.01.1964) हुई। बाद में माननीय उच्च न्यायालय में नीना स्वरूप द्वारा दायर

रिट याचिका संख्या 5230/1989 में अंतिम निर्णय के अध्यधीन प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.05.1994 द्वारा नीना स्वरूप को प्रवक्ता कॉमर्शियल आर्ट के पद पर (जन्म तिथी 30.04.1959) नियुक्ति दी गयी एवं इसकी वरिष्ठता मूल चयन सूची में 1ए (मेरिट कमांक 1 एवं 2 के मध्य) रखी गई अर्थात आदेश दिनांक 18.04.1991 द्वारा नियुक्ति प्रवक्ता दुर्गेश नन्दिनी के पश्चात एवं सुहास दत्ता से पहले रखी गई। बाद में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सुहास दत्ता की अधिकरण के आदेश की अनुपालना में वर्ष 2005–06 की रिक्ती के विरूद्ध विभागाध्यक्ष कॉमर्शियल आर्ट के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 02.06.2015 द्वारा की गई एवं इस आदेश में सुहास दत्ता का मेरिट कमांक नीना स्वरूप के पश्चात कम संख्या 3 पर निर्धारित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग का निवेदन है कि आरपीएससी द्वारा चयन उपरांत जारी मेरिट सूची में प्रवक्ता टेक्स टाईल डिजाईन में संगीता सक्सेना का मेरिट कमांक 2 (एम 2) एवं अनिता टांक का मेरिट कमांक 3 (एम 3) होने से अनिता टांक संगीता सक्सेना से कनिष्ठ है। सुहास दत्ता का प्रवक्ता कॉमर्शियल आर्ट की आरपीएससी की मेरिट कमांक 2 (एम 2) है। संगीता सक्सेना एवं सुहास दत्ता दोनो की अपने–अपने विषय में आरपीएससी की मेरिट 02 होने एवं एक ही नियुक्ति आदेश से नियुक्त होने से सुहास दत्ता आयु में ज्यादा होने से अतंर विभागीय वरिष्ठता सूची में उसे संगीता सक्सेना से उपर वरिष्ठता कमांक 4 पर रखा गया। संगीता सक्सेना को कम संख्या 5 एवं अनिता टांक को कम संख्या 6 पर रखा गया था जो नियमानुसार सही है। परंतु अंतिम वरिष्ठता सूची जारी होने की तिथी 08.01.2013 के पश्चात विभाग आदेश दिनांक 02.06.2015 द्वारा सुहास दत्ता की कॉमर्शियल आर्ट विषय में वरिष्ठता 2 (एम 2) के बजाय 3 (एम 3) होने से वह संगीता सक्सेना से कनिष्ठ हो जाती है। क्योंकि संगीता सक्सेना की आरपीएससी की मेरिट कमांक 2 है। अब अनिता टांक एवं सुहास दत्ता दोनों की अपने–अपने विषय में मेरिट कमांक 3 होने एवं दोनो की नियुक्ति एक ही आदेश से होने के कारण ज्यादा उम्र के आधार पर अनिता टांक (जन्म तिथी 05.05.1960) सुहास दत्ता (जन्म तिथी 07.01.1964) में वरिष्ठ हो जाती है। इस प्रकार अतंर विभागीय वरिष्ठता सूची में संगीता सक्सेना कमांक 4, अनिता टांक कमांक 5 एवं सुहास दत्ता कमांक 6 पर आ जाती है। डीपीसी में प्रधानाचार्य के 4 रिक्त पदों की पदोन्नति हेतु विचार किया जाकर संगीता सक्सेना को प्रधानाचार्य के पद पर वरिष्ठता के आधार पदोन्नति हेतु अनुशंषा की गई, शेष दोनों कनिष्ठ होने एवं पद रिक्त नहीं होने से वर्ष 2011–12 के विरूद्ध पदोन्नति नहीं

प्रदान की गई। परंतु प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन नियमानुसार नहीं होने से मान्य नहीं है।

यह विवाद तीनों की अतंर विभागीय वरिष्ठता निर्धारण के संबधं में है। अतः यह देखा जाना है कि संबंधित नियमों में वरिष्ठता का निर्धारण किस तरह किए जाने का प्रावधान है।

इन तीनों लोक सेवकों के प्रथम नियुक्ति, संबंधित विषय में आरपीएससी द्वारा जारी मेरिट एवं उच्चतर पदों पर पदोन्नति का विवरण निम्न हैः–

क्र.स.	नाम/जन्म तिथी	प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति आदेश/विषय	प्रवक्ता चयन में आरपीएससी मेरिट क्रमांक	वरिष्ठ प्रवक्ता पद पर पदोन्नति वर्ष	विभागाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति वर्ष	वि. वि
1	अनिता टांक (05.05.1960)	18.04.1991 (टेक्सटाईल डिजाईन)	(एम3)	1998–99	2005–06	.....
2	संगीता सक्सेना (07.10.1964)	18.04.1991 (टेक्सटाईल डिजाईन)	(एम2)	2004–05	2005–06	.....
3	सुहास दत्ता (17.01.1964)	18.04.1991 (कॉमर्शियल आर्ट)	(एम2) बाद में संशोधित (एम3)	2004–05	2005–06	.....

राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर–अभियांत्रिकी) सेवा नियम 2010 में नियम 32 (i) में निम्न प्रावधान हैः–

32 (i):– "The inter seniority of persons appointed to a post in a particular category by direct recruitment on the basis of one and same selection, except those who do not join service when a post is offered to them within a period of six weeks from the date of issue of order or longer, if extended by the Appointing Authority, shall follow the order in which their name have been placed in the list prepared rule 24."

विभागीय सेवा नियम 2010 के नियम 32 (i) में अंतर विभागीय वरिष्ठता निर्धारण के प्रावधान अनुसार सीधीभर्ती में एक/समान चयन की दशा में नियम 24 के अन्तर्गत बनाई गई सूची के अनुसार नाम रखे जायेगे। परंतु प्रश्न यह है कि सीधी भर्ती के पद के पश्चात उच्चतर पदों पर पदोन्नति में क्या पदोन्नत पद पर भी नाम इसी क्रम में रखे जायेगें। यदि इन कार्मिकों की पदोन्नति समान वर्षों में होती है उस दशा में तो भर्ती की चयन सूची के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित रखी

जायेगी परंतु यदि भर्ती/चयन सूची में से किसी कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति भर्ती में उससे उपर की मेरिट वाले कार्मिक से पहले हो जाती है तो क्या उस दशा में भी उच्चतर पदों पर वरिष्ठता का निर्धारण सीधी भर्ती के मेरिट के अनुसार किया जायेगा? इस संबंध में यह सामान्य नियम है कि सीधी भर्ती के पद पर वरिष्ठता चयन सूची के क्रम के आधार पर निर्धारित की जाती है परंतु पदोन्नत पद पर वरिष्ठता का निर्धारण पदोन्नति वर्ष के अनुसार होगा। इसका मतलब यह है कि यदि एक कार्मिक सीधी भर्ती में मेरिट में कनिष्ठ है परंतु पदोन्नति पद पर उसकी पदोन्नति सीधी भर्ती में उससे उपर की मेरिट वाले व्यक्ति से पहले हो जाती है तो पदोन्नत पद पर वह कार्मिक वरिष्ठ हो जायेगा, जिसकी पदोन्नति पहले हुई है।

प्रस्तुत अपीलों में तीनों की नियुक्ति एक ही नियुक्ति आदेश दिनांक 18.04. 1991 से हुई है। अनिता टांक जिसकी प्रवक्ता टेक्सटाईल डिजाईन के पद पर नियुक्ति हुई एवं आरपीएससी की मेरिट 03 (एम 3) है। इसी आदेश में प्रवक्ता टेक्सटाईल डिजाईन के पद पर नियुक्त संगीता सक्सेना की आरपीएससी मेरिट क्रमांक 2 (एम2) होने से संगीता सक्सेना प्रवक्ता के सीधी भर्ती के पद पर अनिता टांक से वरिष्ठ है परन्तु वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर चूंकि अनिता टांक की पदोन्नति रिक्ती वर्ष 1998–99 में हुई एवं संगीता सक्सेना की वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति 2004–05 की रिक्ति के विरूद्ध में है। अपील में यह भी कथन किया गया है कि संगीता सक्सेना की भी 1998–99 में वरिष्ठ व्याख्यता के पद पर पदोन्नति हुई परन्तु उसने पदोन्नति का परित्याग कर दिया है। इस तथ्य का खडंन संगीता सक्सेना एवं प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में नहीं किया है। इस तरह वरिष्ठ व्याख्याता टेक्सटाईल डिजाईन में अनिता टांक संगीता सक्सेना से वरिष्ठ हो जाती है। फिर अंनिता टांक एवं संगीता सक्सेना की विभागध्यक्ष के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 22.06.2006 द्वारा रिक्ती वर्ष 2005–06 के विरूद्ध हुई। इस आदेश में अनिता टांक का नाम क्रंमाक 01 एवं संगीता सक्सेना का नाम क्रमांक 02 पर अंकित है। इस प्रकार इस प्रकरण में अनिता टांक वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर पहले पदोन्नत होने से संगीता सक्सेना से वरिष्ठ प्रवक्ता एवं विभागध्यक्ष के पद पर वरिष्ठ हो जाती है। भले ही भर्ती पद पर संगीता सक्सेना की मेरिट अनिता टांक से उपर रही हो। पदोन्नति पदों पर सीधी भर्ती की मेरिट को ध्यान में रखकर वरिष्ठता निर्धारण किसी भी दृष्टि से नियमानुसार नही है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी अतंर विभागीय सामान्य वरिष्ठता सूची में अनिता टांक का नाम संगीता सक्सेना से उपर वरिष्ठता क्रमांक 4 पर रखा जायेगा।

जंहा तक सुहास दत्ता की अंतर विभागीय वरिष्ठता के निर्धारण का विषय है। सुहास दत्ता भी आदेश दिनांक 18.04.1991 (जिसके द्वारा अनिता टांक एवं संगीता सक्सेना को नियुक्ति दी गई) द्वारा प्रवक्ता कॉमर्शियल आर्ट के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई एवं उसकी आरपीएससी मेरिट 02 (एम 2) थी जिसे बाद में संशोधित कर 03 (एम 3) कर दिया। अनिता टांक की वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर वर्ष 1998–99 में पदोन्नति हुई एवं संगीता सक्सेना एवं सुहास दता की वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर 2004–05 में पदोन्नति हुई। इस प्रकार अनिता टांक इन दोनो से वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर वरिष्ठ हो गई एवं विभागध्यक्ष के पद पर तीनों की पदोन्नति वर्ष 2005–06 में होने से अनिता टांक की विभागाध्यक्ष के पद पर वरिष्ठता इन दोनों से उपर रहेगी।

संगीता सक्सेना एवं सुहास दत्ता की वरिष्ठ प्रवक्ता पर पदोन्नति वर्ष 2004–05 एवं विभागाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति 2005–06 में अर्थात साथ–साथ होने से सेवानियम 2010 के नियम 32 (i) के अनुसार संगीता संक्सेना की चयन मेरिट 2 होने एवं सुहास दत्ता चयन मेरिट 03 होने से संगीता सक्सेना विभागाध्यक्ष की वरिष्ठता में सुहास दत्ता से वरिष्ठ होगी इस प्रकरण में दोनों की आयु पर विचार नहीं किया जायेगा। आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण तब किया जाता जब दोनों का चयन वर्ष एवं मेरिट समान हो।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 08.01.2013 को जारी विभागाध्यक्ष की अंतर विभागीय वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रमांक 4 पर अनिता टांक, क्रम संख्या 5 पर संगीता सक्सेना एवं क्रम संख्या 6 पर सुहास दत्ता का नाम वरिष्ठता क्रम में होना चाहिए जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा क्रम संख्या 4 पर संगीता सक्सेना, क्रम संख्या 5 पर अनिता टांक एवं क्रम संख्या 6 पर सुहास दत्ता को मानकर पदोन्नति कार्यवाही सम्पादित की। जबकि विभाग द्वारा अतंरविभागीय वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रमांक भिन्न है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अनिता टांक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किए बिना ही अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी। विभागीय आदेश दिनांक 02.06.2015 के दृष्टिगत नवीन वरिष्ठता सूची जारी किए बिना ही डीपीसी की बैठक आयोजित कर प्रधानाचार्य के पदों पर वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति आदेश जारी किया गया। वरिष्ठता संबंधी इस अस्पष्टता के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है।

उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 में प्रधानाचार्य महिला पोलोटेक्निक के कुल स्वीकृत 8 पदों में से 5 पद रिक्त थे एवं एक पद अधिकरण

के आदेश से रिक्त रखा जाकर 4 पदों पर पदोन्नति हेतु डीपीसी द्वारा पदोन्नति हेतु अभिशंषा की गई। उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 4 पर अनिता टांक का नाम होना चाहिए था एवं उसके नाम पर पदोन्नति हेतु विचारण किया जाना चाहिए था जो डीपीसी द्वारा नहीं किया गया है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 18.03.2016 में प्रथम तीन क्रमांक पर पदोन्नत कार्मिकों की वरिष्ठता के लेकर कोई विवाद इन अपीलों में नहीं किया गया है। अधिकरण द्वारा अपील संख्या 100/2013 (श्रीमती शालिनी गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य) का भी संभवतः निस्तारण कर दिया गया होगा उस दशा में संभव है कि एक और पद पदोन्नति हेतु उपलब्ध हो गया हो।

अतः उपर्युक्त विश्लेषण एवं तथ्यात्मक स्थिति के दृष्टिगत अपील 104/2016 सुहास दत्ता बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य को अस्वीकार किया जाता है।

अपील संख्या 138/2016 अनिता टांक बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य को स्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रधानाचार्य महिला पोलोटेक्निक के पद पर वर्ष 2011–12 की रिक्ती के विरूद्ध जारी पदोन्नति आदेश श्रीमती संगीता सक्सेना की हद तक अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विवेचन के अनुरूप अतंर विभागीय वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रमांक 4 पर अनिता टांक, क्रमांक 5 पर संगीता सक्सेना एवं क्रमांक 6 पर सुहास दत्ता का नाम रखा जावे एवं इस संबंध में रिव्यू डीपीसी की बैठक आयोजित की जाकर श्रीमती अनिता टांक को वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरूद्ध प्रधानाचार्य महिला पोलोटेक्निक के पद पर उसकी वरिष्ठता के दृष्टिगत विचार किया जावे एवं अन्यथा पात्र पाये जाने पर पदोन्नति प्रदान की जावे। यदि शालिनी गुप्ता द्वारा दायर अपील में निस्तारण होने से कोई वर्ष 2011–12 में प्रधानाचार्य पद की रिक्ती उपलब्ध होती है तो उस पद पर पदोन्नति हेतु भी इसी रिव्यू डीपीसी में विचार किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)